

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2019—माघ 1, शक 1941

आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

“शुद्धि-पत्र”

क्र. एफ 4-89-2018-पच्चीस-1.—इस विभाग के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त, 2018 में “मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018” की अनुसूची-तीन के अनुक्रमांक 5 के कॉलम (2) (पद का नाम) में, अंकित “खेलकूद शिक्षक (श्रेणी ब)” के स्थान पर, “खेलकूद शिक्षक” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनेश श्रीवास्तव, उपसचिव.